जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 12-09-2021**

आज दिनांक 12.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

1 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान मेहदावल बाईपास के पास से अतीक अहमद पुत्र हसमत अली निवासी महुली चौराहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 02 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 623 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी पुलिस चौकी नवीन मंडी उ0नि0 श्री हरेश तिवारी, हे0का0 नरसिंह यादव, हे0कां0 जितेन्द्र यादव, राजकुमार यादव, कां0 नीलेश शुक्ला।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता नान्हू बंजारा पुत्र गुलाम निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 291 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी दुर्गजोत उ0नि0 श्री रमेश यादव मय हमराह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामचरन पुत्र रामनाथ निवासी महुआरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 2978 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह प्रभारी चौकी बाघनगर, का0 श्रीप्रकाश, कां0 शिवम यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा जहर खाई महिला को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर से इवेन्ट संख्या 13678 से कालर ने किसी बात को लेकर महिला द्वारा जहर खाने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर जहर खाई महिला को जरिए एम्बुलेंस से नाथनगर भेजा गया जहां चिकित्सीय परीक्षणोपरान्त पीड़ित महिला को जिला अस्पताल भेजावाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 रविकान्त कुशवाहा, आ0 अजीजुल्लाह खॉ, हो0गा0 विरेन्द्र चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 61 वाहनो से 38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 61 वाहनो से 38,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।